न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर जोधपुर (ग्रामीण),
पीठासीन अधिकारी श्री सुरेन्द्र सिंह पुरोहित आर0ए0एस0

पंचायत निगरानी सं. :– 35 / 2024 (2024 / 168)

प्रार्थी

सुरेन्द्र सिंह पुत्र बाबू सिंह, जाति राजपूत, निवासी कांकाणी, तहसील लूणी, जिला जोधपुर।

बनाम

अप्रार्थीगण

1. ग्राम पंचायत कांकाणी तत्कालीन ग्राम पंचायत शिकारपुरा जरिये सरपंच, पंचायत समिति लूणी, जिला जोधपुर।
2. श्रीमती गटुकंवर पत्नी श्री नरेन्द्रसिंह, जाति राजपूत, निवासी कांकाणी तहसील लूणी जिला जोधपुर।

पंचायत निगरानी अन्तर्गत धारा 97, राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम 1994 विरूद्ध पट्टा संख्या 02 दिनांक 05.02.2002 जो ग्राम पंचायत कांकाणी तत्कालीन ग्राम पंचायत शिकारपुरा द्वारा जारी किया गया।

उपस्थिति

1. अधिवक्ता श्री भंवरसिंह तापू (प्रार्थी)।
2. अधिवक्ता श्री मोतीसिंह व करणसिंह राजपुरोहित (अप्रार्थी संख्या 02)।

आदेश **दिनांक :–25.11.2024**

प्रार्थी ने यह पंचायत निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 पट्टा संख्या 2 दिनांक 05.02.2002 जो ग्राम पंचायत कांकाणी तत्कालीन ग्राम पंचायत शिकारपुरा द्वारा जारी किया गया को, निरस्त करने बाबत प्रस्तुत की गई। जिसके संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि अप्रार्थी संख्या 02 को ग्राम पंचायत कांकाणी तत्कालीन ग्राम पंचायत शिकारपुरा द्वारा पट्टा नम्बर 02 जारी दिनांक 05.02.2002 के द्वारा नियम 167 (1) राजस्थान पंचायत नियम 1994 के अन्तर्गत पट्टे जारी किये गये थे जो राजस्थान पंचायती राज नियम 1994 के विरूद्ध किया गया तथा पंचायती राज नियमों के तहत सरपंच स्वयं अपने लाभ के लिए ग्राम पंचायत की कार्यवाही एंव जारी पटटे से व्यथित होकर यह निगरानी प्रार्थना पत्र 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम के तहत प्रस्तुत किया है।

पंचायत निगरानी दर्ज रजिस्टर की जाकर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये गये। अप्रार्थी संख्या 02 की ओर से अधिवक्ता श्री मोतीसिंह ने वकालतनामा पेश किया। उभयपक्ष अधिवक्तागण की दिनांक 19.11.2024 को बहस सुनी जाकर पत्रावली वास्ते आदेश दिनांक 25.11.2024 को रखी गई।

प्रार्थी अधिवक्ता ने पंचायत निगरानी में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए बतलाया कि ग्राम पंचायत कांकाणी तत्कालिन ग्राम पंचायत शिकारपुरा द्वारा निगरानीधीन पट्टा राजस्थान पंचायती राज अधिनियमों के विपरीत जाकर जारी किया गया, जो विधि विरूद्ध होने से निरस्त किया जाना आवश्यक हैं। उक्त पट्टा ग्राम पंचायत कांकाणी तत्कालीन ग्राम पंचायत शिकारपुरा द्वारा राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 के नियम 167 (1) के अनुसरण में जारी किया गया, पटटा निलामी/विक्रय के अनुसरण में जारी किया जाता हैं जिस हेतु ग्राम पंचायत द्वारा निलामी से पूर्व की विधिक प्रक्रिया अपनाये बिना ही पटटा जारी किया गया तथा उक्त पटटा जारी करने से पूर्व निलामी की सूचना अखबार में प्रकाशित करानी होती हैं लेकिन ग्राम पंचायत ने विधिक प्रक्रिया अपनाये बिना ही न्युज पेपर में प्रकाशित किये बिना ही विधि विरूद्ध तरिके से उक्त पटटा जारी किया हैं, जिसे खारिज किया जाना न्यायोचित एंव विधि सम्मत हैं।

प्रार्थी अधिवक्ता ने निगरानी में आगे बतलाया कि ग्राम पंचायत कांकाणी तत्कालिन ग्राम पंचायत शिकारपुरा द्वारा उक्त भूमि खसरा सख्या 603 आवासीय प्रयोजन हेतु नही थी तथा आबादी का हिस्सा नही था एंव सिवाय चक गैर मुमकिन मगरा की भूमि थी जो वर्तमान में भी गैर मुमकिन मगरा दर्ज हैं तथा जोधपुर विकास प्राधिकरण के नाम दर्ज है। उपरोक्त भूमि खसरा सख्या 603 विषय जिला कलेक्टर महोदय जोधपुर के आदेश द्वारा सम्भावित खनिज क्षेत्र के रूप में सुरक्षित रखी हुई हैं, इस प्रकार ग्राम पंचायत को गैर मुमकिन मगरा की सिवाय चक भूमि पर पट्टा जारी करने का क्षेत्राधिकार नही होते हुऐ भी मनमाने तौर पर विधि पटटा जारी कर भारी भूल की हैं। आलौच्य पटटा विलेख जारी करने से पूर्व राजस्थान पंचायती राज नियम 1994 के अनिवार्य प्रावधानों की पालना नहीं की गई है जिस कारण आलौच्य पट्टा नियम विरूद्ध होने से निरस्त किये जाने के योग्य है।

प्रार्थी ने निगरानी में आगे और बतलाया कि ग्राम पंचायंत कांकाणी तत्कालिन ग्राम पंचायत शिकारपुरा द्वारा उक्त पटटा जारी करने से पूर्व न तो ग्राम पंचायत द्वारा आम सभा बुलाई गई और न ही ग्राम वासियों की आपत्ति ली गई, ग्राम पंचायत द्वारा बिना किसी प्रकार का सुनवाई का मौका दिये उक्त आलौच्य पटटा जारी किया हैं। सरपंच द्वारा अपने चहेते लोगों को आर्थिक फायदा देने की नियत से बिना ग्राम पंचायत की आम सभा बुलाये और बिना ग्राम वासियों को सूचना दिये ही उक्त पटटा अपने परिचित व्यक्ति के हक में जारी किया गया। ग्राम पंचायत कांकाणी तत्कालिन ग्राम पंचायत शिकारपुरा द्वारा उक्त पटटा संबंधी सम्पूर्ण मूल रिकॉर्ड व पत्रावली जिसमें पटटा बुक मिसल व प्रस्ताव रजिस्टर उपलब्ध नही हैं क्योकि पंचायत द्वारा पंचायती राज नियम द्वारा नियमों की अवहेलना करते हुए जारी किया गया, जिसके संबंध में ग्राम पंचायत द्वारा संबंधित पुलिस थानें में उक्त रिकॉर्ड की झूठी गुमसुदगी दर्ज करवाई गई। उक्त पटटे का रिकॉर्ड ग्राम पंचायत के पास था ही नही, जिसकी झूठी गुमसूदगी रिपोर्ट दर्ज की गई। बहस के अन्त में निगरानी प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर आलौच्य भूमि पटटा संख्या 02 दिनांक 05.02.2002, मिसल सख्या जो ग्राम पंचायत कांकाणी तत्कालिन ग्राम पंचायत शिकारपुरा, तहसील लूणी द्वारा जारी किया गया है, को निरस्त करने की प्रार्थना की।

अप्रार्थी संख्या 01 के विद्वान अधिवक्ता श्री करणसिंह राजपुरोहित ने बहस में बतलाया कि निगरानीधीन पट्टे से संबंधित पंचायत निगरानी पूर्व में इस न्यायालय में पेश की गई थी जिस पर माननीय न्यायालय द्वारा उभयपक्षकारों को सुनकर गुणावगुण पर निर्णय पारित कर दिया गया था। प्रार्थी द्वारा पुनः उसी पट्टे को इस न्यायालय में चुनौती दी गई है जो Res Judicata के तहत पोषणीय नहीं है। माननीय न्यायालय द्वारा पूर्व में इसी पट्टा विलेख को चुनौती देने वाली पंचायत निगरानी की पूर्ण विवेचना करते हुए निर्णय पारित करने देने के कारण प्रार्थी की पंचायत निगरानी निरस्त योग्य होने से निरस्त फरमावे। बहस के समर्थन में न्यायालय द्वारा पूर्व में पारित निर्णय की पेश की।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा उभयपक्ष अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया। प्रकरण में यह तथ्य निर्विवादित है कि निगरानीधीन पट्टे को पूर्व में पंचायत निगरानी के द्वारा चुनौती दी गई जिस पर न्यायालय द्वारा उभयपक्षकारों को सुनकर विवेचना करते हुए निर्णय पारित कर दिया गया।

उसी पट्टे को पुनः पंचायत निगरानी के द्वारा इस न्यायालय में चुनौती दी गई है जो Res Judicata के तहत पोषणीय नहीं होने से खारिज योग्य है। उपरोक्त विवेचनानुसार प्रार्थी का निगरानी प्रार्थना–पत्र Res Judicata के तहत पोषणीय नहीं होने से निरस्त किया जाता है। आदेश की प्रति ग्राम पंचायत को भिजवाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

(सुरेन्द्र सिंह पुरोहित)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
जोधपुर (ग्रामीण)

आदेश आज दिनांक 25.11.2024 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

(सुरेन्द्र सिंह पुरोहित)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
जोधपुर (ग्रामीण)